IX

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनाँक 19 अगस्त,1998 को सांय 3 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेस द्वितीय, झंडेवालान, नई दिल्ली -110 005 में हुई नौवी बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1	श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि0ज0बो0
4	श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	" "
5	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, " "	" "
6	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दि0न0नि0	" "
7	श्री डी के चड्डा, सदस्य, दि0न0नि0	" "
8	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	" "

दिल्ली जल बोर्ड की दिनाँक 12-8-98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किए गए ।

संकल्प संख्या 92
मद संख्या 84

केशोपुर में 40 मि0गै0दै0 क्षमता के संयत्र हेतु "सरफेसएयरोटर्स" के लिए पाँच स्टार्टस तथा अन्य विविध मदों सहित वर्टिकल हैलीकल टाइप रिडक्सन गीयर बॉक्सों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा चालू करना।

मुख्य अभियन्ता(मल) के पत्र क्रमांक दि0ज0बोर्ड/अभि/98/55 दिनांक 31-7-98 व अतिरिक्त जानकारी पत्र दिनांक 19-8-98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति व इस कार्य को बातचीत के आधार पर न्यूनतम मूल्य रुपये 76,50,000/- पर मै0 ए0 सी0 ई0 मार्केटिंग लि0, बी-48, शिवालिक, नई दिल्ली को निविदा के नियम व शर्तो व उसके बाद अब तक किए गये संशोधन/शुद्धियों सहित 10% गति प्रदान करने के लिए अग्रिम व 18% ब्याज बैंक गारंटी — —.— पर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सकंल्प संख्या 93
मद संख्या 91

बैठी हुई सीवर लाइन के मैनहोल ट्राली के ऊपरी सिरे से बी-1/621, जनकपुरी (पश्चिमी क्षेत्र) तक के लिए 1000 मि0 मीटर व्यास के पाइपों की समानान्तर लाइन की व्यवस्था व बिछाना (अतिरिक्त कार्य)।

--2

मुख्य अभियन्ता (सी।। के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो.98/59 दिनॉक 14-8-98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि इस कार्य के लिये रु0 45,39,789/= के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति व निविदा मूल्य रु0 27,07,164.60 पर 31.5% अधिक की दर पर कुल लागत मूल्य रु0 35,59,920.60 पर श्री रामचरण बन्सल को ऑबटित करने की स्वीकृति दी जाती है । यह भी संकल्प किया गया कि ठेकेदार को निविदा सूचना की सूची 10 सी. के अर्न्तगत बढ़ी हुई दरों का भुगतान किया जाय ।

संकल्प संख्या 94 :

मद संख्या 96 पश्चिमी दिल्ली के चाणक्य प्लेस भाग-।, फेस-।।, पंखा रोड़ में पानी की सी.आई. मुख्य लाइनों की व्यवस्था, बिछाना व जोड़ना

मुख्य अभियन्ता (सी)। के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./इन्जी./98/62 दिनॉक 13-8-98 में दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने के बाद संकल्प किया गया कि इस कार्य के लिये रु0 30,90,756 .00 के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 95:

मद संख्या 97 700 मी.मि. व्यास की एच. एस./पी.एस.सी. राइजिंग मेन को बिछाने एवं जोड़ने के लिये करनी है, दक्षिणपुरी सीवरेज पम्प हाऊस से ट्रंक सीवर जो कि मेहरोली बदरपुर मार्ग पर बतरा अस्पताल के निकट कार्य रेखा के साथ-साथ करनी है ।

मुख्य अभियन्ता (सी)चतुर्थ के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./इन्जी./98/63 दिनॉक 13-8-98 में दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह संकल्प किया गया कि इस कार्य को रु0 34,33,792.50 जमा उत्पाद कर तथा बिक्री कर जो भी देय हो, सहित आपूर्ति मै0 प्रीसिजन इन्जीनियरस एण्ड फेब्रीकेटर्स को आबट्रित करने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 96

मद संख्या 98 : नॉगलोई सैय्यद (निलोठी) स्थित अवजल पम्पिंग स्टेशन के लिये सहायक उपकरणों सहित 32.5 मी. हैड पर 3900 घनमीटर के चार नान क्लाग अवजल पम्पिंग सेटों की आपूर्ति, पँहुचाना, स्थापना, जॉच और चालू करना:

मुख्य अभियन्ता (एस.डी.डब्ल्यू.) के पत्र क्रमॉक दिल्ली जल बोर्ड/इन्जी./98/64 दिनॉक 14-8-98 में दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात यह संकल्प किया गया कि इस कार्य को पुन: बात-चीत के आधार पर मै0 जे.ई.एस. इन्जी. कम्पनी को रुपये 4,07,99,000.00 की कुल लागत की निम्नतम दरों को विभागीय विनिर्देशों, नियमों, शर्तों एवं आज की तिथि तक के पत्र व्यवहार तथा बैंक के साक्ष पर 18% की ब्याज दर पर, 10% की आग्रिम के भुगतान सहित की, स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 97:

मद संख्या 99: तुगलकाबाद सीवरेज पम्पिंग स्टेशन से जी0बी0 पन्त पोलीटेक्निक ग्रेविटी डक्ट तक 800 मी0मि0 व्यास वाली एच0एस0 राइजिंगमेन को बिछाने एवं जोड़ने का कार्य:

मुख्य अभियन्ता (सी) चतुर्थ के पत्र क्रमॉक .ज.बो./इन्जी./98/65 दिनॉक 17-8-98 के दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने संकल्प किया कि इस कार्य को 65.99% अधिक दर पर कुल लागत रुपये 56,27,515.81 को मै0 तिरुपति सीमेन्ट प्रोडक्ट को आबर्टित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 98 :

मद संख्या 100 दिल्ली जल बोर्ड में भारी वाहन चलाने हेतु अनुबन्ध आधार पर वाहन चालाकों को लगाना :

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)के पत्र संख्या दि.ज.बो./प्रशासन/98/34 दिनॉक 18-8-98 में दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने संकल्प किया कि 100 और भारी वाहन चालकों को अनुबन्ध के आधार पर 6 माह के लिये रुपये 3500 प्रति माह की एक मुश्त राशि पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह भी संकल्प किया गया कि अधिक अनुभव रखने वाले प्रत्याशियों को आयु में यथा संभव छूट दी जाय, जो इस प्रकार से होगी:-

अनुभव	आयु सीमा
2 साल	30 वर्ष
3 साल	31 वर्ष
4 साल	32 वर्ष
5 साल	33 वर्ष

संकल्प संख्या 99

मद संख्या 101 1071 अनधिकृत कालोनियों 1000 गहरे हैण्ड पम्प लगाने का प्रस्ताव :

मुख्य अभियन्ता (सी)। के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./इन्जी./98/66 दिनॉक 19-8-98 में दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह संकल्प किया गया कि अनधिकृत कालोनियों में 1000 के बजाय 2000 गहरे हैण्ड पम्प व 100 नल कूप लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । अनुमानित लागत रु0 6 करोड़ से अधिक अतिरिक्त धन की व्यवस्था के लिये अध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार से दिलाने के लिये बोर्ड को आश्वासन दिया ।

उपरोक्त संकल्पों के अतिरिक्त निम्नलिखित संकल्प भी किये गये:–

(क) राजस्व वसूली के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुये यह निर्णय लिया गया कि अनधिकृत जल कनेक्शन को नियमित करने की तिथि 31–12–98 तक बढ़ा दी जाय । फिलहाल इसकी अन्तिम तिथि 30.09.1998 को समाप्त हो रही है । बोर्ड ने यह भी फैसला लिया कि उपभोक्ताओं से नियमितिकरण के लिये 50/= रुपये का टोकन दण्ड 31 अक्टूबर 1998 तक तथा उसके पश्चात 250/= रु0 31 दिसम्बर 1998 तक एक वर्ष के निम्नतम दर के साथ वसूल किया जायेगा तथा इसके बाद यदि कोई उपभोक्ता अपना कनेक्सन नियमित नहीं करवाता तो उसे तुरन्त काट दिया जायेगा और तीन साल की राशि के साथ भारी दण्ड राशि (रुपये 500/=) लेकर ही कनेक्शन दिया जायेगा । डेवलपमेंट चार्ज की वसूली पहले के निर्णय के अनुसार किश्तों में की जायेगी जिसका स्पष्टीकरण उपभोक्ता के बिल में कर दिया जायेगा ।

(ख) यह भी संकल्प किया गया कि आगे से प्रशासनिक स्वीकृति मुद्दों का उनके विषय में ही उल्लेख कर दिया जाय कि यह प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के लिये है ।

(ग) यह भी संकल्प किया गया कि पूर्व निर्णय अनुसार दिल्ली सरकार को टेण्डर जनरल प्रकाशित करने के लिये कहा जाये जिसमें दिल्ली जल बोर्ड सहित समस्त दिल्ली सरकार के अधीनस्थ विभागों के टेण्डर प्रकाशित किये जाये ।

यह भी संकल्प किया गया कि निविदा विज्ञापन मुख्य अखवारों व सम्बन्धित शहरों के ही अखवारों में दिये जायें तथा टेण्डर जनरल प्रकाशन की सूचना सभी अखवारों में दे दी जाये ।

सचिव

अध्यक्ष,
दिल्ली जल बोर्ड